



सत्यमेव जयते



भावाअशि न वन अनुसंधान संस्थान

I.C.F.R.E- HIMALAYAN FOREST RESEARCH INSTITUTE

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्त निकाय अधीन संस्थान)
(Institute of an Autonomous Body of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India)

संख्या-1-1(88)हिवअसं0/1760-1770 दिनांक 20 अक्टूबर, 2024

कार्यालय आदेश/Office Order No. 196.

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 35034/3/2008 स्थापना (डी) दिनांक 19 मई 2009 समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 09.09.2010, वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 10 जून, 2009, संशोधित एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन योजना संबंधी शर्तों के अनुसार एवं समिति द्वारा संस्तुत निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नाम के आगे दर्शाए वेतनमान में वित्तीय अपग्रेडेशन हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है:

As per Notification of Ministry of Personnel, Public Grievances & Pension, New Delhi (Personnel and Training Department) vide No. 35034/3/2008-Estt-(D) dated 19-05-2009, OM dated 09-09-2010, Ministry of Finance OM dated 10-06-2009, other Terms & Conditions of Modified Assured Career Progression Scheme and as recommended by the Committee, the financial up-gradation to the following officials has been granted as mentioned below:

क्रम	नाम व पद (श्री)	वर्तमान वेतनबैंड / लेवल	संशोधित एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ
1	सुदेश कुमार, एमटीएस	₹5200-20200+ GP ₹1800 Level-1 (as per 7 th CPC)	प्रथम संशोधित एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ दिनांक 18.06.2024 से पीबी-1, वेतनबैंड ₹5200-20200+ ग्रेडवेतन ₹1900 (Level 2 as per 7 th CPC) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2	संजीव कुमार, एमटीएस	₹5200-20200+ GP ₹1800 Level-1 (as per 7 th CPC)	प्रथम संशोधित एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ दिनांक 26.06.2024 से पीबी-1, वेतनबैंड ₹5200-20200+ ग्रेडवेतन ₹1900 (Level 2 as per 7 th CPC) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उपरोक्त कर्मचारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे संशोधित वेतनमान व ग्रेडवेतन निर्धारण हेतु अपना-अपना विकल्प यथाशीघ्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करें अन्यथा यह लाभ उन्हें नियमानुसार प्रस्तावित तिथि से दे दिया जाएगा।

The above officials are hereby instructed to submit their option for fixation of their pay at the earliest; otherwise the fixation will be made from the date of grant of financial up-gradation under MACP Scheme.

(डॉ० संदीप शर्मा)
निदेशक/Director

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु/ Copy for information and necessary action:

- उपरोक्त कर्मचारियों की सेवापंजिकाओं में अभिलेख हेतु/ Service Book of above officials for records
- आहरण एवं संवितरण अधिकारी, हि०व०अ०सं०, शिमला / DDO, HFRI Shimla.
- कार्यालय आदेश फोल्डर/ Office Order Folder
- प्रभारी-सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड हेतु/ Incharge-Information Technology Section for uploading in Website.

कोनिफर कैम्पस, पंथाघाटी, शिमला-171 013, हिमाचल प्रदेश

Conifer Campus, Panthaghati, SHIMLA-171 013, Himachal Pradesh

ई-मेल/ E-Mail: dir_hfri@icfre.org

वेबसाइट/ Website: http://hfri.icfre.gov.in

दूरभाष/Phone: 0177-2626778.

FAX/ फैक्स: 0177-2626779.

ई.टी.सी.एम्स./EPABX: 0177-2816101